



प्रिण्ट, प्रो. प्रज. अंक. /प.नं. पी. 893

प्राथमिक सं० अंक. पी०-४१

समाप्तिके अ. पी. ए. ए. सं. सं. सं. सं.

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत प्रदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 मार्च, 2000

फाल्गुन 20, 1921 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1

संख्या 334/64-1--2000-46-95

लखनऊ, 10 मार्च, 2000

प्रधिसूचना

प० भा०--130

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थापित) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राष्ट्रपति उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

संशोधन

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में, प्रविष्टि 77 के पर्याय निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

“78-जाट”

भाषा से,  
विनोद चन्द्र पाण्डेय,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 334/LXIV-1-2000-46-95, dated March 10, 2000 :

No. 334/LXIV-1-2000-46-95

Dated Lucknow, March 10, 2000

In exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 (U. P. Act no. 4 of 1994), the Governor is pleased to make the following amendment in Schedule-I to the aforesaid Act :-

#### AMENDMENT

In Schedule-I to the aforesaid Act after entry 77, the following entry shall be inserted, namely :-

"78 JAT"

By order,  
VINOD CHANDRA PANDEY,  
Sachiv.



उत्तर प्रदेश सरकार  
पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1

संख्या 334/(1)/64-1-2000-40-95

लखनऊ, दिनांक 10 मार्च, 2000

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (प्रनुसूचित जातियों, प्रनुसूचित जन-जातियों और ग्रन्थ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण)-  
नियम, 1984 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की प्रसूची-एक में किए गये संशोधन से सम्बन्धित  
अधिसूचना संख्या 334/64-1-2000-40/95, दिनांक 10 मार्च, 2000 की प्रति निम्नलिखित को सूचना  
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ० प्र० शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त मण्डलाध्यक्ष/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4-प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उ० प्र०।
- 5-राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उ० प्र०।
- 6-प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विद्यालयों को छोड़कर) के निवन्धक।
- 7-निवन्धक, उ० प्र० सहकारी समितियाँ, लखनऊ।
- 8-समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
- 9-समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 10-निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 11-निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बैसिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
- 12-समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद/नगर निगम/नगर पालिका/टाउन परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 13-निवन्धक, हाईकोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच, लखनऊ।
- 14-निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश।
- 15-सचिव विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
- 16-सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- 17-सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ० प्र०, लखनऊ।
- 18-निदेशक, उ० प्र० प्रशासनिक अफावसी, नैनोताल।
- 19-समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रीगण, उ० प्र० शासन।
- 20-प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ० प्र० शासन।
- 21-सचिवालय के समस्त अनुभाग।

श्रीमान से,  
शिशिर कुमार यादव,  
उप सचिव।